25
2019

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/राजस्व/2019/ 825-28 दिनांकः—21.02.2019

तहसीलदार
श्रीमाधोपुर।

संशोधित–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 6558/राजस्व/2018 दिनांक 17.09.2018 के द्वारा रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के आदेश पारित किये गये थें। जिसमें ग्राम लांपुवा के भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 4.10 हैक्टर चारागाह भूमि में से रकबा 0.30 हैक्टर भूमि जो रास्ते के रूप में काम आ रही है को नक्शा ट्रेस में डोटेड लाईन से दर्ज रास्ते की तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये गये थें। उक्त पारित आदेश में पटवारी हल्का लांपुवा ने डोटेड लाईन के कुछ हिस्से में मौके पर राजकीय विधालय डाबावाली की चारदिवारी बनी होना अवगत कराया है। जिसके कारण उक्त आदेश की पालना में तरमीम की कार्यवाही नहीं हो सकती।

अतः पटवारी हल्का लापुंवा की रिपोर्ट के आधार पर उक्त पारित आदेश क्रमांक 6558/राजस्व/2018 दिनांक 17.09.2018 में आंशिक संशोधन किया जाता है तथा नक्शा ट्रेस में डोटेड रास्ते की तरमीम में आंशिक संशोधन करते हुए पटवारी हल्का लांपुवा द्वारा नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ता अनुसार तरमीम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर को संलग्न प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये जाते है कि उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। गै.मु. रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किया जावें एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेंगे।

(ब्रहमलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/राजस्व/2019/ 825-28 दिनांकः—21.02.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर
2. पटवारी हल्का लांपुवा
3. रक्षित पत्रावली।

(ब्रहमलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner